



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1539 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1539

विषय / Sub: फ्यूल कंटेन्ट गेज (एफसीजी), डब्ल्यूटी-ओ/टी प्रोब, पार्ट सं. 188000000, इश्यू 3
Fuel Content Gauge (FCG), WT – O/T Probe, Part No.: 188000000, Issue 3

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एएसईआरडीसी, असेसरीज प्रभाग, लखनऊ – 226 016 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "फ्यूल कंटेन्ट गेज (एफसीजी), डब्ल्यूटी-ओ/टी प्रोब", पार्ट सं. 188000000 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1539, दिनांक 08 अक्टूबर 2010 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1539 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक थी। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/52 टीएएस/एडीएम-1, दिनांक 28 जून 2013 द्वारा संशोधन जारी किया गया था।

This is to state that the "Fuel Content Gauge (FCG), WT – O/T Probe" bearing the Part No.: 188000000, designed, developed and manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, ASERDC, Accessories Division, Lucknow – 226 016 was issued with Type Approval No.: 1539 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1539, Dated: 08th October 2010 with validity up to 31st December 2015. Subsequently an amendment was issued vide Ref. No.: CEMILAC/5070/52 TAs/Adm-1, Dated: 28th June 2013.

2. उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1539 और उसके परिशिष्ट 'ए' में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।

The following Amendment is effected in the subject Type Approval No. 1539 and its Appendix 'A'.

<i>Wherever / For</i>	<i>Read as</i>
<i>Part No. : 188000000, Issue 3</i>	<i>Part No. : 188000000, Issue 4</i>

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जून 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 मई 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), लखनऊ-226 016, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st June 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st May 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), Lucknow – 226 016, Three (03) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

4. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1539, दिनांक 08 अक्टूबर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 4 में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para 4 of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1539, dated: 08th October 2010 is amended as stated herewith.

“ [अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1539/1R

दिनांक/Date : 16 June 2017

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

Handwritten signature and date: 16/06/17

Handwritten signature: P. Jayapal
पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)